संख्या- /2019/ 360 /33-3-2019-100(14)/2018

प्रेषक,

सोबरन सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायती राज,

उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी,2019

विषय- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू. 20000.00 लाख में से अनुदान संख्या-14 में केन्द्रांश रू. 6880.2147 लाख व राज्यांश रू. 4586.81 लाख कुल धनराशि रू. 11467.0247 लाख अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4/शा/03/2019-आर.जी.एस.ए/81(1)/2015 दिनांक 22.01.2019 व पत्र संख्या- 4/शा/94/2019-आर.जी.एस.ए/81(1)/2015 दिनांक 24.12.2018 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018, वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस- 2018-231/2018, दिनांक 20.04.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू. 20000.00 (रू. दो अरब मात्र) लाख में से अनुदान संख्या-14 में प्राप्त केन्द्रांश रू. 6880.2147 लाख (रू. अरसठ करोड अस्सी लाख इक्कीस हजार चार सौ सत्तर मात्र) व मैंचिंग राज्यांश रू. 4586.81 लाख (रू. पैंतालीस करोड छियासी लाख इक्यासी हजार मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रू. 11467.0247 लाख (एक अरब चौदह करोड सरसठ लाख दो हजार चार सौ सत्तर मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस- 2018-231/2018, दिनांक 20.04.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उपरोक्त के संबंध में धनराशि का आवंटन(एलाटमेंट) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। अन्य किसी मद में व्यय किया जाना अनुमन्य न होगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व आपका होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

(8) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-0104-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) (के.60/रा.40-के.+रा.)-42-अन्य व्यय के नामे डाले जायेगा।

(9) भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) की गाईडलाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से विजया बैंक, 1/33 ए, विजयखण्ड, गोमतीनगर में खोले गए खाता संख्या-713401621000005, आई.एफ.एस.सी कोड-VIJB 0007134 में जमा किया जायेगा।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 व अन्य का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येकमाह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने का दायित्व आपका होगा।

(13) स्वीकृत धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किए जाने से पूर्व वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(15) स्वीकृत किए जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(16) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश आपके स्तर से किया जायेगा।

(17) **योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।**

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस- 2018-231/2018, दिनांक 20.04.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-यू.ओ.ई-2-158/X-19 दिनांक 22.02.2019 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(सोबरन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उ0प्र0 प्रदेश शासन।

3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- एन0आई0सी0 की प्रति।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सोबरन सिंह)
विशेष सचिव।